न्यायालय तहसीलदार रुपनगढ जिला–अजमेर

राजस्व मुकदमा नं. 04 /2020

किस्म मुकदमा अंतर्गत धारा 91 राज.भू राजस्व अधि. 1956

उनवान

सरकार जरिये प0ह0हरमाडा बनाम श्री महावीर पुत्र नारायण गुर्जर निवासी हरमाडा

<u>निर्णय</u>

दिनांकः– 7.9.2020

पत्रावली पेश हुयी।प्रकरण संक्षिप्त मे इस प्रकार से है कि ग्राम हरमाडा के आराजी खसरा नंबर 1246 किस्म गै.मु. बा0सो0 रकबा 900 वर्गफुट भूमि पर चारदिवारी पक्की कर अप्रार्थी ने कब्जा कर लिया गया है।जिसकी रिपोर्ट पटवारी हल्का की प्राप्त होने पर मामला अंतर्गत 91 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस से तलब किया गया।अप्रार्थी उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसका कब्जा/अतिक्रमण करना स्वीकार किया।

इससे स्पष्ट होता है कि महावीर पुत्र नारायण जाति गुर्जर निवासी हरमाडा ग्राम हरमाडा स्थित खसरा नंबर 1246 किस्म बा0सो0 रकबा 900 वर्गफुट भूमि पर अतिक्रमण किया है।

अतः आदेश दिये जाते है कि अप्रार्थी को ग्राम हरमाडा की आराजी खसरा नंबर 1248 किस्म बा0सो0 रकबा 900 वर्गफुट भूमि पर से बेदखल किया जाता है तथा लगान 1.00 का 50 गुणा 50/–रुपये जुर्माना किया जाता है तथा अप्रार्थी को विवादग्रस्त आराजी से भौतिक रुप से बेदखल करने के आदेश दिये जाते है।

भू.अ.नि./ पटवारी/टी.आर.ए.मांग कायमी कर वसूली करे तथा विवादित भूमि पर से अप्रार्थी को भौतिक रुप से बेदखल कर कब्जा लेकर रिपोर्ट पेश करे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।मुकदमा नम्बर से कम हो पत्रावली बाद पूर्ति संग्रह भण्डार हो।

न्यायालय तहसीलदार रूपनगढ (अजमेर)

वर्ष 2020-21 रा.ले.सं.4 के पृष्ठ संख्या 70 पर रा. 50/- की मांग कायमी की गई।
9/9/2020
तहसील राजस्व लेखाकार

तहसीलदार
रूपनगढ (अजमेर)

तहसीलदार रूपनगढ